2024/530

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– करामतखां पुत्र स्व0 हिदायतखां जाति कायमखानी निवासी जतनपुरा तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– मो0 अमिनखान पुत्र पन्नेखां जाति कायमखानी निवासी जतनपुरा तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...162/2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
27.09.2024	प्रार्थी करामतखां पुत्र स्व0 हिदायतखां जाति कायमखानी निवासी जतनपुरा तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मो0 अमिनखान पुत्र पन्नेखां जाति कायमखानी निवासी जतनपुरा तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0 के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद जतनपुरा के खेत खसरा सं0 293, 318 की भूमि में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें एवं बैचाण नही करेगें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 29.10..2024 को पेश हो। Vikas **उपखण्ड अधिकारी** **डीडवाना**	
29/10/24	पत्रावली पेश हुई । बार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे... पत्रावली दिनांक 28/11/24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.27 13:16:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner